

प्रेषक,

निदेशक,

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०,
खनिज भवन, लखनऊ।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

संख्या 27 / एम०-एन०जी०टी० वाद / 2021

दिनांक 06 अप्रैल, 2022

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-140 एवं 141 वर्ष 2021 राजकुमार बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य एवं रामकरन कर्ण बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-140 एवं 141 वर्ष 2021 में पारित आदेश दिनांक 08.03.2022 के कार्यकारी अंश निम्नवत् हैं:- "4. Vide order dated 02.07.2021 on consideration of the matter, the Tribunal directed Additional Chief Secretary, Mining, UP to furnish a report about the compliance status including the status of DSR and replenishment studies for Banda District and also in-stream mining in submerged water and monitoring mechanism. In spite of above, no response has been filed even though more than six months have expired and matter has been deferred several times, awaiting response. Let the Additional Chief Secretary, Mining, UP remain present in person by video conferencing with compliance status and explanation why coercive measures be not taken for failure to comply with the orders of this Tribunal. We also direct District Magistrate, Banda and State PCB to furnish a factual report on the subject before the next date by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

5. In case anything adverse is found by the above authorities against the Project Proponents - M/s Durga Trading Company and Ashok Kumar Gautam, they may be put to notice of these proceedings for their response, if any, before this Tribunal before the next date.

List for further consideration on 08.04.2022.

Copy of this order be forwarded to the Additional Chief Secretary, Mining, UP, District Magistrate, Banda and State PCB by e-mail. "

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के उक्त आदेश दिनांक 08.03.2022 में अपर मुख्य सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म को वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिये गये हैं। प्रकरण में सुनवाई हेतु तिथि 08.04.2022 नियत है।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रकरण में दिनांक 08.04.2022 को वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सुनवाई के समय उपस्थित रहने हेतु उपयुक्त लिंक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(डा० रोशन जैकब)
निदेशक।

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Compliance Report of the Order dated 8th March, 2022, passed by this

Hon'ble Tribunal

In Re.

Original Application No.140 of 2021

Raj Kumar	Applicant
	Vs.	
State of U.P. & others	Respondents
	With	
	Original Application No. 141 of 2021	
Ramkaran Karn	Applicant
	Vs.	
State of U.P. & others	Respondents

To,

The Hon'ble Chairperson,
Along with other Hon'ble Members,
Of the Hon'ble Tribunal

On behalf of the respondents – State of U.P. & others, the following compliance report of the order 08.03.2022, is being filed:-

1. That in the 8th year of Republic of India for development of minerals and regulation of mines, the Parliament enacted the ***Mines and Minerals (Development & Regulation) Act, 1957*** (hereinafter called as the said Act, 1957), which came into force with effect from 30.06.1958.
2. That under the provisions of Section 3, clause (e) of the said Act, 1957, the minor minerals have been defined as building stone, gravel, ordinary clay, ordinary sand (other than the sand used for the prescribed purposes) any other mineral, which the Central Government may, by notification in the official gazette, declare it to be minor mineral.
3. under the provisions section 15 of the said Act, 1957, the State Governments are authorized to frame the Rules for regulating the grant of quarry leases, mining leases or any other mineral concession in respect of minor minerals, and for

the purposes connected therewith, by notification in the official gazette.

4. That in exercise of the powers conferred under section 15, of the said Act, 1957, the State Government framed the ***Uttar Pradesh Minor Mineral (Concessions) Rules, 1963*** (hereinafter referred as the said Rules, 1963), which was subsequently superseded by Notification No.1157/86-2021-(03) (Sa)/2021, dated 29.10.2021 and published in the ***Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules, 2021***(hereinafter referred as the said Rules,2021).
5. That under the provisions of the said Rules, 1963, there are two types of concessions – firstly the mining lease, secondly the mining permit. The mining leases can be granted in two ways – firstly, by declaring the availability of the area and thereafter determining the preference in favour of most suitable applicant; and secondly by holding the auction by e-tender-cum-e-auction process, and accept such offers, which are highest and satisfactory, for available quantity on such area. The mining permits are granted under the provisions of Chapter VI, by way of e-tender for a period up to six months, realizing the amount of royalty in advance on the term & condition that after removal of the permitted quantity or on the expiry of the period, whichever is earlier, the mining permit will lapse automatically, and in any case, the permit holder is not entitled to make any request for the refund of the deposit in any case.
6. That the Government of India, Ministry of Environment, vide Notification No.S.O. 1533 (E), dated 14.09.2006, making environmental clearance compulsory for the mining of minerals on those areas, whose extent was 5 Hectares or more.
7. That in the case of Deepak Kumar Vs. State of Haryana & others (2012) 4 SCC 629, vide order dated 27.02.2012, the Hon'ble Supreme Court was pleased to direct the Central Government for taking steps to bring into force the Minor Minerals Conservation & Development Rules, 2010 at the earliest. The

Hon'ble Supreme Court further directed that the State Governments, Union Territories should also take immediate steps to frame necessary Rules under Section 15 of the said Act, 1957, taking into consideration the recommendation of MoEF and its report of March 2010 and model guidelines framed by the Ministry of Mines, Government of India. The Hon'ble Supreme Court was also pleased to order that in the meantime, the leases of the minor minerals, including their renewal, for an area of less than 5 Hectares, be granted by the States/ Union Territories, only after getting environmental clearance from MoEF.

8. That this Hon'ble Tribunal, in the above-mentioned original applications, vide order dated 08.03.2022, was pleased to pass the following directions:-

“ (4) That vide order dated 02.07.2021, on consideration of the matter, the Tribunal directed the Additional Chief Secretary Mining U.P., to furnish a report about the compliance status, including the status of DSR and replenishment status for Banda district and also in stream mining in sub-merged water and monitoring mechanism. In view of above, no response has been filed, even though more than six months have expired, and the matter has been deferred several times awaiting response. Let the Additional Chief Secretary Mining, U.P., U.P. remain present in person by Video Conferencing with compliance status and explanation, while coercive measures be not taken for failure to comply with the order of this Hon'ble Tribunal. We also direct the District Magistrate, Banda and State PCB to furnish factual report on the subject before the next date by e-mail at judicial ngt@Gov.in, preferably in the form of searchable PDF/OCR support PDF, not in form of image PDF.

5. In case nothing adverse is found by the above authorities against the project proponent, M/s Durga

Trading Company and Ashok Kumar, they may be out to notice of these proceedings for their response, if any, before this Tribunal.

List for further consideration on 08.04.2022.”

The answering Respondent being a public Servant cannot dream to violate the direction of any court of law including Hon'ble NGT.

That the answering Respondent tenders her unconditional Apology for the inconvenience caused to this Hon'ble NGT in issuing notice in the present case.

9. That in Uttar Pradesh, the mining leases of minor minerals, i.e., of sand and morrum are being granted for a period of 5 years, by e-tender-cum-e-auction process in favour of those bidders, who offer highest and satisfactory bid per cubic metre of mineral. Before advertising the area, the replenishment studies are done and thereafter, the annual estimated quantity for particular area is decided, and in the advertisement it is specifically mentioned that the bidder must satisfy himself regarding the availability of the minor mineral on the area and the approach road for transportation of such mineral.
10. That in district Banda after proper study of replenishment of Sand/Morrum on the areas the 'District Survey Report' (herein after referred as DSR) was prepared and it was Approved by DEIAA. In the letter of DEIAA dated 17.08.2018 area of khand no. 1 Village-Kanwara District Banda is placed at serial no. 7 and in letter of DEIAA dated 13.08.2019 area of khand no. 4 Village-Banda Khadar, District Banda is placed at serial no. 4. The quantity of the minerals in these two areas has been assessed by DEAC Committee and on the basis of that committee's report it has been approved by DEIAA. It is been annexed herewith as **Annexure No.1 and 2.**

For Environmental impact assessment (E.I.A.) study ministry of environment and forest and climate change

(MoEF&CC) has propounded Sustainable sand mining management guidelines 2016 and enforcement and monitoring guidelines for sand mining 2020. In compliance of this Guidelines Government of Uttar Pradesh has issued a Government order no 790(1)/86-2020 dated 01.06.2020. As per this Government order, Government of Uttar Pradesh has constituted a team of officials of Department of Geology and Mining, Revenue Department, Forest Department and Irrigation Department, who give recommendation for any new area to be included or any change in D.S.R.(District survey report). Till November 2021 a total of 296 newly areas has been added in District survey report (D.S.R.) in different districts of Uttar Pradesh.

11. In Compliance of Hon'ble NGT order dated 02.07.2021 OA no. 140/2021 Raj Kumar Versus State of UP and OA no. 141/2021 Ram Karan karn Versus State of UP, D.M Banda has authorized CMPDI (Central mine planning and Design Institute limited), a public sector enterprise of Government of India to do the replenishment study of rivers of banda district on dated 28.10.2021 C.M.P.D.I has started the replenishment study of rivers of Banda District. A letter was issued by the Director, Directorate of Geology and Mining U.P. dated 21.03.2022 to CMPDI regarding the timeline for completion of Replenishment study of Rivers of Banda District. CMPDI in its letter dated 06.04.2022 has mentioned that for determination of sand replenishment, pre-monsoon and post-monsoon survey of the river is required. In view of that CMPDI has assured to complete the replenishment study by 31.12.2022.

The copy of the consent letter of C.M.P.D.I dated 19.10.2021 and their assurance letter dated 06.04.2022 being annexed herewith as **Annexure No.3 and 4**, to this compliance report.

12. That if the bid found to be highest and satisfactory per cubic metre then a letter of intent is issued in favour of such bidder and thereafter, the applicant should obtain approval on its mining plan

and environmental clearance from the competent authority; and thereafter the mining lease is executed in his favour.

13. That in the lease deed, the following terms are specifically mentioned:-

- (i) **The mining operations are to be carried only up to the depth of 3 metres, or up to the water level, whichever is less which is mentioned in Rule No. 42(h)(1) of Uttar Pradesh Minor Mineral Concession Rule 2021;**
- (ii) The safety zone should be worked out;
- (iii) The mining operations will be done in accordance with the scheme mentioned in the Mining Plan;
- (iv) The lessee will be bound to obey the terms and conditions of the environmental clearance;
- (v) The mining will be done after sun-rise till sun-set;
- (vi) In the monsoon season, no mining will be done;
- (vii) Heavy machinery and Suction Machines will not be used for excavation of the mineral;
- (viii) No temporary bridge or hinderance will be created in the flow of river water during the lease period;

14. That the Central Government framed Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016 with object of managing un-controlled sand mining in India.

That the Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Government of India also framed Enforcement and monitoring Guidelines for Sand Mining in January 2020.

15. That at this time, total 17 mining leases are in operation in Banda district and they have proper environmental clearances, as well as the consent under the provisions of "*Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.*"

17. That in compliance of the order dated 26.02.2021, passed by this Hon'ble Tribunal in **O.A. No.360 of 2015 (National Green Tribunal Bar Association Vs. Veerendra Singh (State of Gujarat & others))**, 5 members Committee has been constituted by the District Officer, Banda, vide office order No.2892/Khanij-30 Banda, dated 14.12.2021. In the said Monitoring Committee, the members as under:-

1. Divisional Forest Officer, Banda - Chairman
2. Mines Officer/Mines Inspector/
Surveyor, Mines Department, Banda Member
3. Executive Engineer, Irrigation &
Water Resources department, Banda- Member
4. Concerned Tehsildar - Member
5. Regional Officer, Pollution Control
Board, Banda - Member Secretary.

A copy of the said office order dated 14.12.2021 issued by the District Officer, Banda, is being annexed herewith as **Annexure No.5**, to this compliance report.

18. That the said Monitoring Committee is regularly watching the mining activities of 17 areas and if any lessee is found to violate the above mentioned terms and conditions, then after issuing the notice, necessary proceedings are initiated against him. Committee's report being annexed herewith as **Annexure No.6** In this report the two areas namely khand no. 1 Village kanwara, District Banda and khand no. 4 Village Benda Khadar, District Banda has not been mentioned as mining activities in both these area was not in operation. Mining at Khand no. 1 Village kanwara, District Banda was not in operation due to preparation of approach road. Mining at khand no. 4 Village Benda Khadar, District Banda was not in operation due to stay Order by Hon'ble NGT.

19. That in the Directorate, Lucknow, as well as in the districts, Surveillance Systems have also been installed for prevention of over-loading of minerals, as well as for the vehicles

running without transit passes, action has been taken and Government dues has been recovered.

20. That this Hon'ble Tribunal has also directed for submission of the status report of the following sand, morrum areas which are as follows:-

S.No.	A r e a	S t a t u s
(a)	Khand No.1 Village Kanwara,Banda M/s Durga Trading Co.	mining activities are not being done by the lessee due to preparation of approach road.
(b)	Khand No.4 Village Banda Khadar, District Banda Ashish Kumar Gautam, S/o Shri Suresh Kumar Gautam	matter is pending before the Hon'ble Supreme court in Civil Appeal No(s).7877/2021; M/S Sai int Udyog vs. Ravi Kumar & Ors. Copy of order dated 05.01.2022 is enclosed. Further Civil Appeal No(s) 1542/2022 State of UP. & Ors. Vs. Ravi Kumar & Ors. is also pending wherein order dated 11.03.2022 has been passed. Copy of order dated 11.03.2022 is enclosed.

21. That the status report could not be filed within time, as directed by this Hon'ble Tribunal due to deployment of the officers on Uttar Pradesh Assembly election duty; and I also beg pardon for such delay.

(Dr. Roshan Jacob)
Secretary,
Geology and Mining UP.

कार्यालय पर्यावरण सचिवालय, जिलाधिकारी बाँदा।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 07 / पर्या0सचि0 बाँदा

दिनांक : अगस्त 17, 2018

शुद्धिपत्र

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "District Survey Report for (Planning and Execution of) Mining Minerals Excavation" दिनांक 23.11.2017 को अन्तिम रूप से अनुमोदन कर जिले की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था तथा दिनांक 21.03.2018 को यमुना नदी क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम-जौहरपुर में उपलब्ध क्षेत्रफल 95.00 हे० को सम्मिलित कर आवश्यक संशोधन किया गया। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ सं०-60 से 66 में अंकित तालिका में उल्लिखित ग्रामों व उनके क्षेत्रफल तथा ग्राम-जौहरपुर को सम्मिलित करते हुये संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लिखित क्षेत्रफल को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है। तदनुसार DSR के पृष्ठ संख्या 60 से 66 की तालिका व ग्राम-जौहरपुर में उपलब्ध क्षेत्रफल को संशोधित समझा जाये एवं निम्नानुसार पढ़ा जायें।

List of mining Quarries in the District with Location and Area in District Banda

क्र० सं०	तहसील	नदी का नाम	उप खनिज का नाम	ग्राम	गाटा संख्या/खण्ड संख्या	खण्ड सं०	रकबा (हे० में)	खनन की मात्रा (घ०मी० में)
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	बाँदा	यमुना	बालू/मोरम	जौहरपुर	2211 का भाग, 2195 का भाग, 2196, 2197 का भाग, 2183 का भाग, 2198, 2199 का भाग, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2220, 2221 का भाग, 2223 का भाग, 2224 का भाग, 2226 का भाग, 2227, 2228 का भाग, 2229, 2149 का भाग, 2148 का भाग, 10 का भाग, 09, 11 का भाग, 01 का भाग, 12150 का भाग, 08 का भाग	1	15.00	300000
2.	बाँदा	यमुना	बालू/मोरम	जौहरपुर	01 का भाग, 07 का भाग, 08 का भाग, 2147 का भाग, 2148 का भाग, 2150 का भाग, 2200 का भाग, 2181 का भाग, 2182 का भाग, 2180 का भाग, 2178 का भाग	2	15.00	300000
3.	बाँदा	यमुना	बालू/मोरम	जौहरपुर	2178 का भाग, 2152 का भाग, 2153 का भाग, 2145 का भाग, 2147 का भाग, 2146, 06 का भाग, 2148 का भाग, 07 का भाग, 01 का भाग, 2154 का भाग	3	15.00	300000
4.	बाँदा	यमुना	बालू/मोरम	जौहरपुर	01 का भाग, 05 का भाग, 06 का भाग, 2145 का भाग, 2144, 2143 का भाग, 2155 का भाग, 2154 का भाग, 2153 का भाग, 01 का भाग, 2152 का भाग	4	15.00	300000
5.	बाँदा	यमुना	बालू/मोरम	जौहरपुर	01 का भाग, 03 का भाग, 04, 05 का भाग, 2143 का भाग, 2142, 2141, 2140 का भाग, 2156, 2157 का भाग, 2153 का भाग, 2154 का भाग, 2137 का भाग	5	15.00	300000
6.	बाँदा	यमुना	बालू/मोरम	जौहरपुर	01 का भाग, 02, 03 का भाग, 2139, 2138, 2137 का भाग, 2136 का भाग	6	15.00	300000
7.	बाँदा	केन	बालू/मोरम	कनवारा	28 का भाग, 29	1	27.00	540000
8.	बाँदा	केन	बालू/मोरम	कनवारा	53, 337 का भाग	2	24.00	480000
9.	बाँदा	केन	बालू/मोरम	कनवारा	337 का भाग	3	24.00	480000
10.	बाँदा	केन	बालू/मोरम	कनवारा	337 का भाग, 431 का भाग	4	24.00	480000
11.	बाँदा	केन	बालू/मोरम	कनवारा	431 का भाग	5	23.00	460000
12.	बाँदा	केन	बालू/मोरम	अछरीड़	1130 का भाग	1	28.00	560000
13.	बाँदा	केन	बालू/मोरम	अछरीड़	1130 का भाग	2	28.00	560000
14.	बाँदा	केन	बालू/मोरम	लड़ाकापुरवां	5114/1, 5115, 5116, 5117, 5118, 5119, 5120, 5121, 5122, 5123, 5124, 5125, 5126, 5128, 5129, 5130, 5131, 5132, 5134, 5135, 5136, 5152	-	20.00	400000

Signature
01/23

(2)

15.	बाँदा	केन	बालू/ मोरम	भवानीपुरवां	5137, 5138, 5139, 5140,			
16.	बाँदा	केन	बालू/ मोरम	गंछा	5141	-	4.00	80000
17.	पैलानी	केन	बालू/ मोरम	साड़ीखादर	1971/1	-	10.00	200000
18.	पैलानी	केन	बालू/ मोरम	साड़ीखादर	04	-	13.00	260000
19.	पैलानी	केन	बालू/ मोरम	सिनागकलां	60	-	18.00	360000
20.	पैलानी	केन	बालू/ मोरम	पड़ोहरा खादर	683/43, 684/6, 693/48, 684/7, 692/1, 699/3	-	19.00	380000
21.	पैलानी	केन	बालू/ मोरम	खपटिहा कला	165, 166, 174	-	14.00	280000
22.	पैलानी	केन	बालू/ मोरम	खपटिहा कला	455	-	23.00	460000
23.	पैलानी	केन	बालू/ मोरम	खपटिहा कला	356 का भाग	1	16.00	320000
24.	पैलानी	केन	बालू/ मोरम	खपटिहा कला	356 का भाग	2	16.00	320000
25.	पैलानी	केन	बालू/ मोरम	खपटिहा कला	100 का भाग	1	16.00	320000
26.	पैलानी	केन	बालू/ मोरम	खपटिहा कला	100 का भाग	2	16.00	320000
27.	पैलानी	केन	बालू/ मोरम	खपटिहा कला	100 का भाग	3	16.00	320000
28.	पैलानी	केन	बालू/ मोरम	खपटिहा कला	61/3	-	20.00	400000
29.	नरैनी	केन	बालू/ मोरम	बरसड़ा मानपुर	62, 63/1	-	17.00	340000
30.	नरैनी	केन	बालू/ मोरम	बरसड़ा मानपुर	3/1/1 का भाग	1	21.00	420000
31.	नरैनी	केन	बालू/ मोरम	जरर	3/1/1 का भाग	2	21.00	420000
32.	अतर्रा	बागे	बालू/ मोरम	चन्दौर	851, 866, 867, 869, 872, 876	-	8.00	160000
33.	अतर्रा	बागे	बालू/ मोरम	तेरा (ब)	2494	-	7.80	78000
34.	अतर्रा	बागे	बालू/ मोरम	महुटा	1749ख, 1766, 2421	-	9.34	93400
35.	बबेरु	यमुना	बालू/ मोरम	दादौखादर	876ख, 886क, 1481, 1482, 1505, 2031, 2039, 2047, 2247, 2270, 2521, 2522, 2538, 2541ख, 2577, 2599, 2676	-	21.00	210000
36.	बबेरु	यमुना	बालू/ मोरम	दादौखादर	39 का भाग, 42 का भाग	1	12.00	120000
37.	बबेरु	यमुना	बालू/ मोरम	दादौखादर	39 का भाग, 42 का भाग	2	12.00	120000
38.	बबेरु	यमुना	बालू/ मोरम	दादौखादर	39 का भाग, 42 का भाग	3	12.00	120000
39.	बबेरु	यमुना	बालू/ मोरम	दादौखादर	39 का भाग, 42 का भाग	4	12.00	120000
40.	बबेरु	यमुना	बालू/ मोरम	दादौखादर	39 का भाग, 42 का भाग	5	12.00	120000
41.	बबेरु	यमुना	बालू/ मोरम	दादौखादर	42 का भाग, 41 का भाग, 42 का भाग	6	12.00	120000
					38, 40, 41 का भाग, 42 का भाग	7	12.00	120000

16/8/2018
खान-अधिकारी
सदस्य सचिव
(डीईएसी)
बाँदा

M. J. J. J.
DFO Banda
16.08.2018
सदस्य
(डीईआईएए)
बाँदा

17/8/18
SDM(S)
सदस्य सचिव
(डीईआईएए)
बाँदा

अध्यक्ष
(डीईआईएए)
बाँदा

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 1375 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : 13 जुलाई 2019

शुद्धि-पत्र

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "District Survey Report for (Planning and Execution of) Mining Minerals Excavation" दिनांक 23.11.2017 को अन्तिम रूप से अनुमोदन कर जिले की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ सं०-60 से 66 में अंकित तालिका में उल्लिखित ग्रामों व उनके सम्पूर्ण क्षेत्रफल का उल्लेख है, जबकि निर्गत विज्ञप्ति में सम्पूर्ण क्षेत्रफल को खण्डवार कर विज्ञप्ति प्रकाशित की गई, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित ग्राम व क्षेत्रफल तथा निर्गत लेटर आफ इन्टेंट (सहमति-पत्र) में उल्लिखित ग्राम व क्षेत्रफल में भिन्नता के कारण उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को खण्डवार तैयार कर संशोधित किया जाता है। तदनुसार DSR के पृष्ठ संख्या 60 से 66 की तालिका में उपलब्ध क्षेत्रफल को संशोधित समझा जाये एवं निम्नानुसार पढ़ा जायें।

List of mining Quarries in the District with Location and Area in District Banda

क्र० सं०	तहसील	नदी का नाम	उप खनिज का नाम	ग्राम	गाटा संख्या / खण्ड संख्या	खण्ड सं०	रकबा (हे० में)	खनन की मात्रा (घ०मी० में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	बाँदा	यमुना	बालू/मोरम	बेंदाखादर	2/4, 2/23, 2/24, 2/28	01	21.00	4,20,000
2.	बाँदा	यमुना	बालू/मोरम	बेंदाखादर	2/4, 2/23, 2/24, 2/28	02	21.00	4,20,000
3.	बाँदा	यमुना	बालू/मोरम	बेंदाखादर	2/4, 2/23, 2/24, 2/28	03	21.00	4,20,000
4.	बाँदा	यमुना	बालू/मोरम	बेंदाखादर	2/4, 2/23, 2/24, 2/28	04	21.00	4,20,000
5.	बाँदा	केन	बालू/मोरम	मरीली खादर	333/7 का भाग	01	22.00	4,40,000
6.	बाँदा	केन	बालू/मोरम	मरीली खादर	333/7 का भाग	02	22.00	4,40,000
7.	बाँदा	केन	बालू/मोरम	मरीली खादर	333/7 का भाग, 418, 421मि व 426/30	03	23.00	4,60,000
8.	बाँदा	केन	बालू/मोरम	मरीली खादर	333/7 का भाग, 412, 413 व 414	04	23.00	4,60,000
9.	बाँदा	केन	बालू/मोरम	मरीली खादर	333/7 का भाग	05	23.00	4,60,000
10.	बाँदा	केन	बालू/मोरम	मरीली खादर	332/17, 333/7 का भाग व 431/333/1	06	23.00	4,60,000
11.	बाँदा	केन	बालू/मोरम	पथरी	72/47 का भाग, 73, 74/1 का भाग व 75मि	01	20.00	4,00,000
12.	बाँदा	केन	बालू/मोरम	पथरी	72/47 का भाग व 74/1 का भाग	02	19.00	3,80,000
13.	बाँदा	केन	बालू/मोरम	पथरी	72/47 का भाग व 74/1 का भाग	03	19.00	3,80,000
14.	पैलानी	केन	बालू/मोरम	खैरई	2/1, 2/2 व 2/4	-	5.80	1,16,000
15.	पैलानी	केन	बालू/मोरम	साड़ीखादर	73/1, 73/2, 77/1, 77/7, 89, 101/1 व 102/1	-	26.62	5,32,400
16.	पैलानी	केन	बालू/मोरम	पैलानी	21/21, 47/8, 58/27, 54/2, 53/2, 52/2	-	18.00	3,60,000

(हीरा लाल)
जिलाधिकारी
बाँदा।

Annexure No-3

सेन्ट्रल माईन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीट्यूट लिमिटेड
(कोयला इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी / भारत सरकार का एक लोक उद्योग)
गोन्दवारा प्लेस, कान्के रोड, रांची - 834 031, झारखण्ड (भारत)
Central Mine Planning & Design Institute Limited
(A Subsidiary of Coal India Limited / Govt. of India Public Sector Undertaking)
Gondwana Place, Kanke Road, Ranchi - 834 031, Jharkhand (INDIA)
CORPORATE IDENTITY NUMBER - U14292TH1975601001223

Letter No. CMPDI/Env/2021

Dated October 19, 2021

To
Mr Anil Kumar Sharma
Additional Director
Directorate of Mines and geology
Khanij Bhawan 27/8, Raja Ram Mohan Rai Marg,
Lucknow-226001 (U.P.)

Subject: Meeting with Officials from DMG, Lucknow and DMG, Banda for undertaking Sand Replenishment Study in Banda District

Dear Sir,


This has reference to letter no. 2063 dated 11th October, 2021 from District Magistrate, Banda addressed to GM (Business Development), CMPDI with copy to you amongst others, for undertaking sand replenishment study in Banda District, in compliance of Judgement passed by Hon'ble NGT on 2/07/2021 related to OA No. 140 and 141 of 2021.

CMPDI Team will reach Lucknow on 27/10/2021 afternoon and will have meeting with DMG officials on 27/10/2021. On 28/10/2021, the CMPDI team will start for Banda for field inspection and discussion with DMG and other officials. The team will return to Lucknow on 29/10/2021.

It is requested to kindly arrange for accommodation for three persons in Lucknow and Banda. A vehicle may kindly be provided for travel to Banda and back to Lucknow.

Thanking you,

Yours faithfully,


(Abhijit Sinha)

General Manager (Env)



cmpdi
A Coal India Company



Annexure No-4

सेन्ट्रल माईन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीट्यूट लिमिटेड
(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुमती कंपनी / भारत सरकार का एक लोक उद्योग)
गोन्दवाना प्लेस, कान्के रोड, रांची - 834 031, झारखण्ड (भारत)
Central Mine Planning & Design Institute Limited
(A Subsidiary of Coal India Limited / Govt. of India Public Sector Undertaking)
Gondwana Place, Kanke Road, Ranchi - 834 031, Jharkhand (INDIA)
CORPORATE IDENTITY NUMBER - U14292JH1976GO1881223

Letter No: CMPDI/Env/2022/

Dated April 6, 2022

To
The Director
Department of Geology and Mines
Ram Mohan Rai Marg, Gokhle Marg
Lucknow, Uttar Pradesh 22600

Subject: Sand replenishment study of rivers in Banda District-Matter Regarding

Dear Sir,

This is to bring to your kind notice that CMPDI has undertaken sand replenishment study of 3 identified rivers of Banda District, in pursuant to letter no. 2063 dated 11 October, 2021 from Deputy Commissioner, Banda. The interim report, covering the RL measurement of identified location and a tentative volumetric calculation of mineral available, has been submitted vide our e-mail dated 6/04/2022.

It may be appreciated that for determination of sand replenishment, pre-monsoon and post-monsoon survey of the rivers is essential. CMPDI shall take up these measurements in June, 2022 and October, 2022 and submit the report by December, 2022.

Time extension of the work upto 31st December, 2022 is therefore solicited.

Yours faithfully,


(Abhijit Sinha)

General Manager (Environment)

cc for kind information to.

GM (BD), CMPDI



फोन नम्बर/Phone No.: 0651-2230055
फैक्स नम्बर/Fax No.: 0651-2230055
ई-मेल/E-mail: gmenv.cmpdi@coalindia.in
वेब साईट/Website: www.cmpdi.co.in

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।

(खनिज अनुभाग)

Annexure No 5

पत्रांक : 2092/खनिज-30, बाँदा

दिनांक : दिसम्बर 14, 2021

“कार्यालय आदेश”

ओ0ए0 संख्या-360 वर्ष-2015, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन बनाम वीरेन्द्र सिंह (स्टेट ऑफ गुजरात) तथा अन्य सम्बन्धित ओ0ए0 में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.02.2021 के अनुक्रम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के हस्ताक्षर से निर्गत शासकीय पत्र संख्या-NIC-137/81-7-2021 दिनांक 09.09.2021 एवं ओ0ए0 नं0-208 वर्ष-2019, सन्दीप कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य एवं अन्य सम्बन्धित ओ0ए0 में माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रधान पीठ नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.09.2021 के अनुपालन में बालू/मोरम के खनन क्षेत्रों में Sustainable Sand Mining Management Guidelines - 2016 के अनुसार खनन संक्रियाओं को Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining - 2020 में उल्लिखित दिशा निर्देशों के अनुसार निगरानी कर स्थिति तैयार करने हेतु निम्नवत् समिति का गठन किया जाता है :-

- | | |
|---|------------|
| 1. प्रभागीय वन अधिकारी, बाँदा। | अध्यक्ष |
| 2. खान अधिकारी/खान निरीक्षक/सर्वेक्षक, खनिज विभाग, बाँदा। | सदस्य |
| 3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, बाँदा। | सदस्य |
| 4. सम्बन्धित तहसीलदार। | सदस्य |
| 5. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बाँदा। | सदस्य-सचिव |

अतः उपरोक्त गठित समिति को आदेशित किया जाता है कि मा0 राष्ट्रीय न्यायाधिकरण प्रधान पीठ नई दिल्ली द्वारा उपरोक्त मामले में पारित आदेशों का विधिवत अध्ययन कर उसका अनुपालन सुनिश्चित करते हुये जनपद में बालू/मोरम के स्वीकृत/निष्पादित खनन परिहारों के प्रत्येक क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर प्रत्येक तीन माह में तथ्यात्मक स्थिति तैयार कर अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेंगे तथा उक्त तथ्यात्मक स्थिति के अनुसार अनुपालन आख्या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7 (ई-मेल soenvups@rediffmail.com) एवं सदस्य-सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ (ई-मेल ms@uppcb.com) को तत्काल प्रेषित किये जाय।

(अनुसंग पटेल)
जिलाधिकारी, बाँदा।

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रभागीय वन अधिकारी, बाँदा।
4. सदस्य-सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बाँदा।
6. खान अधिकारी/खान निरीक्षक/सर्वेक्षक, खनिज विभाग, बाँदा।
7. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, बाँदा।
8. तहसीलदार, बाँदा/नरैनी/पैलानी/अतर्रा/बबेरू।

जिलाधिकारी,
बाँदा।

संयुक्त जांच आख्या

Annexure No-6

जिलाधिकारी महोदय, बांदा के आदेश सं0-2892 / खनिज-30, बांदा दिनांक 14.12.2021 के अनुपालन में जनपद बांदा में बालू/मोरम के स्वीकृत खनन पट्टा / परमिट क्षेत्रों की जांच आख्या क्षेत्रवार निम्नवत है :-

पट्टा / परमिट क्षेत्रों की जांच आख्या क्षेत्रवार निम्नवत है :-

क्र0 सं0	पट्टाधारक का नाम व पता	पट्टान्तर्गत क्षेत्र का विवरण						निधारित वार्षिक मात्रा (घ0 मी0 में)	खनन पट्टा क्षेत्र की स्थिति
		तहसील	ग्राम / खदान का नाम	गाटा सं0	क्षेत्र फल (हे0 में)	नदी का नाम	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	मेसर्स को0 एण्ड एस, करौना शर्मा पुत्री स्व0 आर0के शर्मा, नि0 ई-528 ग्रेटर कैलाश पार्ट II, नई दिल्ली।	बांदा	मरौली खादर	333 / 7 का भाग, 418, 426/30 (खण्ड सं0-3)	23.00	केन	460000	1. जांच का दिनांक :- 23.03.2022 2. क्षेत्र में जल की स्थिति :- सम्पूर्ण भाग सूखा है। 3. क्षेत्र में उपलब्ध गड़दों की गहराई :- अधिकतम 03 मी0 4. भारी मशीनों के उपयोग की स्थिति :- चिन्ह नहीं मिले। 5. बालू/मोरम की उपलब्धता :- 42 प्रतिशत 6. क्षेत्र के बाहर खनन की गड़दों की स्थिति :- शून्य 7. क्षेत्र के सुरक्षा जोन की स्थिति :- सुरक्षित 8. अस्थायी पुल अथवा जल प्रवाह में क्षेत्र के बाहर व अन्दर कोई छेड़छाड़ की गयी है अथवा नहीं :- कोई निर्माण नहीं देखा गया। 9. सन्दर्भित उद्योग को राज्य बोर्ड से जल / वायु सहमति दिनांक 31.12.2024 तक निर्गत है।	
2.	साहू इलेक्ट्रिकल्स स्टोर प्रो0 श्री मनीष साहू पुत्र श्री सन्तशरण साहू नि0-बड़ीहाट महोबा, तह0 व जिला महोबा	बांदा	मरौली खादर	333 / 7 का भाग (खण्ड सं0-02)	22.00	केन	440000	1. जांच का दिनांक :- 23.03.2022 2. क्षेत्र में जल की स्थिति :- सम्पूर्ण भाग का 90 प्रतिशत भाग सूखा है। 3. क्षेत्र में उपलब्ध गड़दों की गहराई :- अधिकतम 03 मी0 4. भारी मशीनों के उपयोग की स्थिति :- चिन्ह नहीं मिले। 5. बालू/मोरम की उपलब्धता :- 41 प्रतिशत 6. क्षेत्र के बाहर खनन की गड़दों की स्थिति :- शून्य 7. क्षेत्र के सुरक्षा जोन की स्थिति :- सुरक्षित 8. अस्थायी पुल अथवा जल प्रवाह में क्षेत्र के बाहर व अन्दर कोई छेड़छाड़ की गयी है अथवा नहीं :- कोई निर्माण नहीं देखा गया। 9. सन्दर्भित उद्योग को राज्य बोर्ड से जल / वायु सहमति दिनांक 31.12.2022 तक निर्गत है।	



<p>3</p> <p>मे० पी०पी० कान्सट्रक्शन प्रो० श्री विजय पाल प्रजापति पुत्र श्री बौरा प्रजापति निवासी मे०नं०-जे-49, साउथ सिटी, रायबरेली रोड, धाना पी०जी०आई०, जिला लखनऊ</p>	<p>बादा</p> <p>भरौली खादर</p>	<p>333 / 7 का भाग, 412, 413 व 414 (खण्ड सं०-04)</p>	<p>23.00</p>	<p>केन</p>	<p>460000</p>	<p>1. जांच का दिनांक :- 23.03.2022</p> <p>2. क्षेत्र में जल की स्थिति :- सम्पूर्ण भाग सूखा है।</p> <p>3. क्षेत्र में उपलब्ध गड्ढों की गहराई :- अधिकतम 03 मी०</p> <p>4. भारी मशीनों के उपयोग की स्थिति :- बिन्दु नहीं मिले।</p> <p>5. बालू/मोरम की उपलब्धता :- 45 प्रतिशत</p> <p>6. क्षेत्र के बाहर खनन की गड्ढों की स्थिति :- शून्य</p> <p>7. क्षेत्र के सुरक्षा जोन की स्थिति :- सुरक्षित</p> <p>8. अस्थायी पुल अथवा जल प्रवाह में क्षेत्र के बाहर व अन्दर कोई छेड़छाड़ की गयी है अथवा नहीं :- कोई निर्माण नहीं देखा गया।</p> <p>9. सन्दर्भित उद्योग को राज्य बोर्ड से जल/वायु सहमति दिनांक 31.12.2022 तक निर्गत है।</p>
<p>4</p> <p>मे० जे०एस० इण्टर प्राईजेज पार्टनर श्री बलविन्दर सिंह पुत्र श्री सत्यपाल सिंह निवासी-हाउस नं०-96/ए, नकोरा (128), जिला सिरसा (हरियाणा)</p>	<p>पैलानी</p> <p>खट्टिहांकला</p>	<p>100 का भाग (खण्ड सं०-03)</p>	<p>16.00</p>	<p>केन</p>	<p>3,20,000</p>	<p>1. जांच का दिनांक :- 22.03.2022</p> <p>2. क्षेत्र में जल की स्थिति :- सम्पूर्ण भाग का 80 प्रतिशत भाग सूखा है।</p> <p>3. क्षेत्र में उपलब्ध गड्ढों की गहराई :- अधिकतम 03 मी०</p> <p>4. भारी मशीनों के उपयोग की स्थिति :- बिन्दु नहीं मिले।</p> <p>5. बालू/मोरम की उपलब्धता :- 38 प्रतिशत</p> <p>6. क्षेत्र के बाहर खनन की गड्ढों की स्थिति :- शून्य</p> <p>7. क्षेत्र के सुरक्षा जोन की स्थिति :- सुरक्षित</p> <p>8. अस्थायी पुल अथवा जल प्रवाह में क्षेत्र के बाहर व अन्दर कोई छेड़छाड़ की गयी है अथवा नहीं :- कोई निर्माण नहीं देखा गया।</p> <p>9. सन्दर्भित उद्योग को राज्य बोर्ड से जल/वायु सहमति दिनांक 31.12.2022 तक निर्गत है।</p>






<p>5. श्री विपुल त्यागी पुत्र श्रीरविन्द्रकान्त त्यागी निवासी-म0नं0-319 नूरनगर सिंहानी, तहसील व जिला गाजियाबाद</p>	<p>पैलानी अमलोर खादर</p>	<p>176मि, 172ग, 182 व 187</p>	<p>25.29</p>	<p>केन</p>	<p>505800</p>	<p>1. जांच का दिनांक :- 22.03.2022 2. क्षेत्र में जल की स्थिति :- सम्पूर्ण भाग का 80 प्रतिशत भाग सूखा है। 3. क्षेत्र में उपलब्ध गड्ढों की गहराई :- अधिकतम 03 मी0 4. भारी मशीनों के उपयोग की स्थिति :- चिन्ह नहीं मिले। 5. बालू/मोरम की उपलब्धता :- 38 प्रतिशत 6. क्षेत्र के बाहर खनन की गड्ढों की स्थिति :- शून्य 7. क्षेत्र के सुरक्षा जोन की स्थिति :- सुरक्षित 8. अस्थायी पुल अथवा जल प्रवाह में क्षेत्र के बाहर व अन्दर कोई छेड़छाड़ की गयी है अथवा नहीं :- कोई निर्माण नहीं देखा गया। 9. सन्दर्भित उद्योग को राज्य बोर्ड से जल/वायु सहमति दिनांक 31.12.2024 तक निर्गत है।</p>
<p>6. एस0आर0 इनाकरशन एल0एल0पी0 पार्टनर श्री सुरेन्द्र पुनिया पुत्र श्री धर्मपाल पुनिया निवासी-1051 सेक्टर, 17बी इपको कालोनी, गुडगांव</p>	<p>पैलानी खपटिहा कस्त</p>	<p>100 का भाग (खण्ड सं0-01)</p>	<p>16.00</p>	<p>केन</p>	<p>320000</p>	<p>1. जांच का दिनांक :- 22.03.2022 2. क्षेत्र में जल की स्थिति :- सम्पूर्ण भाग सूखा है। 3. क्षेत्र में उपलब्ध गड्ढों की गहराई :- अधिकतम 03 मी0 4. भारी मशीनों के उपयोग की स्थिति :- चिन्ह नहीं मिले। 5. बालू/मोरम की उपलब्धता :- 46 प्रतिशत 6. क्षेत्र के बाहर खनन की गड्ढों की स्थिति :- शून्य 7. क्षेत्र के सुरक्षा जोन की स्थिति :- सुरक्षित 8. अस्थायी पुल अथवा जल प्रवाह में क्षेत्र के बाहर व अन्दर कोई छेड़छाड़ की गयी है अथवा नहीं :- कोई निर्माण नहीं देखा गया। 9. सन्दर्भित उद्योग को राज्य बोर्ड से जल/वायु सहमति दिनांक 31.12.2021 तक निर्गत है।</p>
<p>7. महादेव कान्सट्रक्शन प्रो0 श्री रामकुमार शास्त्री पुत्र श्री महादेव प्रसाद निवासी-जी0एच0-183 दीनदयाल नगर, दशाहरा मैदान, जिला ग्वालियर(म0प्र0)</p>	<p>नरैनी बिल्डरका</p>	<p>05 का भाग व 09 का भाग</p>	<p>15.165</p>	<p>केन</p>	<p>303300</p>	<p>कार्यालय अभिलेखों के अनुसार किरत की धनराशि जमा न करने के कारण माह दिसम्बर-2021 से खनन एवं परिवहन कार्य बंद है। सन्दर्भित उद्योग को राज्य बोर्ड से जल/वायु सहमति दिनांक 31.12.2021 तक निर्गत है।</p>

Handwritten signatures and marks on the left side of the page, including a large signature at the top and several checkmarks below it.

8.	शिकहोम इन्काबुलड प्रा0लि0 निदेशक श्री दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी पुत्र श्री दिवाकर प्रसाद त्रिपाठी निवासी-589ख / 323 सुभाष नगर, तेतीबाग, लखनऊ	बांदा	मरौलीखार	332 / 17, 333 / 7 का भाग व 431 / 333 / 1 (खण्ड सं0-06)	23.00	केन	4,60,000	कार्यालय अभिलेखों के अनुसार किरत की धनराशि जमा न करने के कारण माह जनवरी-2022 से खनन एवं परिवहन कार्य बंद है। सन्दर्भित उद्योग को राज्य बोर्ड से जल / वायु सहमति दिनांक 31.12.2021 तक निर्गत है।
9.	मे0 जय मां सिद्धिदात्री बिल्डटेक प्रो0 श्री प्रमोद तिवारी पुत्र श्री राजनारायण तिवारी निवासी-नरौली, पो0-बीजापुर, तहसील हैदराबाद, जिला बाराबंकी	बांदा	जौहरपुर	खण्ड सं0-01	15.00	यमुना	300000	1. जांच का दिनांक :- 22.03.2022 2. क्षेत्र में जल की स्थिति :- सम्पूर्ण भाग का 80 प्रतिशत भाग सूखा है। 3. क्षेत्र में उपलब्ध गड़दों की गहराई :- अधिकतम 03 मी0 4. भारी मशीनों के उपयोग की स्थिति :- चिन्ह नहीं मिले। 5. बालू/मोरम की उपलब्धता :- 36 प्रतिशत 6. क्षेत्र के बाहर खनन की गड़दों की स्थिति :- शून्य 7. क्षेत्र के सुरक्षा जोन की स्थिति :- सुरक्षित 8. अस्थाई पुल अथवा जल प्रवाह में क्षेत्र के बाहर व अन्दर कोई छेड़छाड़ की गयी है अथवा नहीं :- कोई निर्माण नहीं देखा गया। 9. सन्दर्भित उद्योग को राज्य बोर्ड से जल / वायु सहमति दिनांक 31.12.2022 तक निर्गत है।
10.	मे0 त्रिपाठी कान्हेक्टर, प्रो0 श्री आनन्द कुमार त्रिपाठी पुत्र श्री देवी प्रसाद त्रिपाठी निवासी इलाहाबाद रोड शोभा सिंह का पुरवां कर्वा तहसील कर्वा जिला चित्रकूट(उ0प्र0)	बांदा	अछरौड़	1130 का भाग (खण्ड संख्या-1)	10.70	केन	2,14,000	1. जांच का दिनांक :- 23.03.2022 2. क्षेत्र में जल की स्थिति :- सम्पूर्ण भाग का 80 प्रतिशत भाग सूखा है। 3. क्षेत्र में उपलब्ध गड़दों की गहराई :- अधिकतम 03 मी0 4. भारी मशीनों के उपयोग की स्थिति :- चिन्ह नहीं मिले। 5. बालू/मोरम की उपलब्धता :- 34 प्रतिशत 6. क्षेत्र के बाहर खनन की गड़दों की स्थिति :- शून्य 7. क्षेत्र के सुरक्षा जोन की स्थिति :- सुरक्षित 8. अस्थाई पुल अथवा जल प्रवाह में क्षेत्र के बाहर व अन्दर कोई छेड़छाड़ की गयी है अथवा नहीं :- कोई निर्माण नहीं देखा गया। 9. सन्दर्भित उद्योग को राज्य बोर्ड से जल / वायु सहमति दिनांक 31.12.2023 तक निर्गत है।

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

<p>11. मे० गौरी कंस्ट्रक्शन प्रो० श्री रामलखन तिवारी पुत्र श्री रामसजीवन निवासी मो०-सर्वोदयनगर, थाना कोतवाली नगर, जनपद बांदा</p>	<p>अतर्रा</p>	<p>तेरा(ब) खनन परमिट</p>	<p>1749ख, 1766 व 2421</p>	<p>23.07 एकड़</p>	<p>बागे</p>	<p>46.700</p>	<p>1. जांच का दिनांक :- 23.03.2022 2. क्षेत्र में जल की स्थिति :- सम्पूर्ण भाग का 80 प्रतिशत भाग सूखा है। 3. क्षेत्र में उपलब्ध गड़ढो की गहराई :- अधिकतम 03 मी० 4. भारी मशीनों के उपयोग की स्थिति :- चिन्ह नहीं मिले। 5. बालू/मोरम की उपलब्धता :- 34 प्रतिशत 6. क्षेत्र के बाहर खनन की गड़ढो की स्थिति :- शून्य 7. क्षेत्र के सुरक्षा जोन की स्थिति :- सुरक्षित 8. अस्थायी पुल अथवा जल प्रवाह में क्षेत्र के बाहर व अन्दर कोई छेड़छाड़ की गयी है अथवा नहीं :- कोई निर्माण नहीं देखा गया। 9. जांच के समय खनन एवं परिवहन कार्य विगत 02 माह से बंद पाया गया।</p>
<p>12. श्री अजीत सिंह मल्होत्रा पुत्र श्री जय सिंह मल्होत्रा निवासी-अलका टाकीज के पास, नेहरू वार्ड, पिपरिया, जिला होशंगाबाद (म०प्र०)</p>	<p>श्रीलान्दी</p>	<p>अमलोर खादर खनन परमिट</p>	<p>7, 17, 18, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 35, 37, 38, 40 177 व 176मि</p>	<p>62.49 एकड़</p>	<p>केन</p>	<p>2,52,900</p>	<p>1. जांच का दिनांक :- 22.03.2022 2. क्षेत्र में जल की स्थिति :- सम्पूर्ण भाग का 90 प्रतिशत भाग सूखा है। 3. क्षेत्र में उपलब्ध गड़ढो की गहराई :- अधिकतम 03 मी० 4. भारी मशीनों के उपयोग की स्थिति :- चिन्ह नहीं मिले। 5. बालू/मोरम की उपलब्धता :- 34 प्रतिशत 6. क्षेत्र के बाहर खनन की गड़ढो की स्थिति :- शून्य 7. क्षेत्र के सुरक्षा जोन की स्थिति :- सुरक्षित 8. अस्थायी पुल अथवा जल प्रवाह में क्षेत्र के बाहर व अन्दर कोई छेड़छाड़ की गयी है अथवा नहीं :- कोई निर्माण नहीं देखा गया। 9. सन्तर्भित उद्योग को राज्य बोर्ड से जल/वायु सहमति दिनांक 31.12.2021 तक निर्गत है।</p>

Sharma


Sharma

SP

MS

MS

<p>13. श्री नरेन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री कमल राज सिंह निवासी-म0नं0 सी-297, निराला नगर, थाना हसनगंज, जिला लखनऊ</p>	<p>बांदा</p>	<p>भवानीपुरवां</p>	<p>5137, 5138, 5139, 5140 व 5141</p>	<p>4.00</p>	<p>केन</p>	<p>80,000</p>	<p>1. जांच का दिनांक :- 23.03.2022 2. क्षेत्र में जल की स्थिति :- सम्पूर्ण भाग का 90 प्रतिशत भाग सूखा है। 3. क्षेत्र में उपलब्ध गड़दों की गहराई :- अधिकतम 03 मी0 4. भारी मशीनों के उपयोग की स्थिति :- बिन्द नहीं मिले। 5. बालू/मोरम की उपलब्धता :- 55 प्रतिशत 6. क्षेत्र के बाहर खनन की गड़दों की स्थिति :- शून्य 7. क्षेत्र के सुरक्षा जोन की स्थिति :- सुरक्षित 8. अस्थायी पुल अथवा जल प्रवाह में क्षेत्र के बाहर व अन्दर कोई छेड़छाड़ की गयी है अथवा नहीं :- कोई निर्माण नहीं देखा गया। 9. सन्दर्भित उद्योग को राज्य बोर्ड से जल / वायु सहमति दिनांक 31.12.2022 तक निर्गत है।</p>
<p>14. मे0 पहलवान ट्रेडर्स प्रो0 श्री कैलाश सिंह यादव पुत्र श्री राम वृक्ष सिंह यादव निवासी-म0नं0-1095, उपहार एलिडको उद्यान-II, रायबरेली रोड, थाना पी0जी0आई0, जिला लखनऊ</p>	<p>पैलानी</p>	<p>खैरई</p>	<p>2/1, 2/2 व 2/4</p>	<p>5.80</p>	<p>केन</p>	<p>1,16,000</p>	<p>1. जांच का दिनांक :- 22.03.2022 2. क्षेत्र में जल की स्थिति :- सम्पूर्ण भाग का 80 प्रतिशत भाग सूखा है। 3. क्षेत्र में उपलब्ध गड़दों की गहराई :- अधिकतम 03 मी0 4. भारी मशीनों के उपयोग की स्थिति :- बिन्द नहीं मिले। 5. बालू/मोरम की उपलब्धता :- 70 प्रतिशत 6. क्षेत्र के बाहर खनन की गड़दों की स्थिति :- शून्य 7. क्षेत्र के सुरक्षा जोन की स्थिति :- सुरक्षित 8. अस्थायी पुल अथवा जल प्रवाह में क्षेत्र के बाहर व अन्दर कोई छेड़छाड़ की गयी है अथवा नहीं :- कोई निर्माण नहीं देखा गया। 9. सन्दर्भित उद्योग को राज्य बोर्ड से जल / वायु सहमति दिनांक 31.12.2022 तक निर्गत है।</p>









15.	श्री फाल्गुन गिरि माइन्स पार्टनर श्री आलोक कुमार शुक्ला पुत्र श्री गोपाल चन्द्र शुक्ला निवासी ग्राम-किशनपुर, तहसील खागा, जिला फतेहपुर	अतर्सा	चन्दौर	2494	7.80	बागे	78,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. जांच का दिनांक :- 23.03.2022 2. क्षेत्र में जल की स्थिति :- सम्पूर्ण भाग का 80 प्रतिशत भाग सूखा है। 3. क्षेत्र में उपलब्ध गड्ढों की गहराई :- अधिकतम 03 मी० 4. भारी मशीनों के उपयोग की स्थिति :- बिन्द नहीं मिले। 5. बालू/मोरम की उपलब्धता :- 80 प्रतिशत 6. क्षेत्र के बाहर खनन की गड्ढों की स्थिति :- शून्य 7. क्षेत्र के सुरक्षा जोन की स्थिति :- सुरक्षित 8. अस्थाई पुल अथवा जल प्रवाह में क्षेत्र के बाहर व अन्दर कोई छेड़छाड़ की गयी है अथवा नहीं :- कोई निर्माण नहीं देखा गया। 9. सन्दर्भित उद्योग को राज्य बोर्ड से जल/वायु सहमति दिनांक 31.12.2023 तक निर्गत है।
16.	श्री ओमप्रकाश राम औतार प्रो० रेनु गुप्ता पत्नी सत्य प्रकाश गुप्ता निवासी-128/346, एच० ब्लाक, किदवई नगर, कानपुर	पैलानी	खपटिहा कलां	455	23.00	केन	4,60,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. जांच का दिनांक :- 22.03.2022 2. क्षेत्र में जल की स्थिति :- सम्पूर्ण भाग का 90 प्रतिशत भाग सूखा है। 3. क्षेत्र में उपलब्ध गड्ढों की गहराई :- अधिकतम 03 मी० 4. भारी मशीनों के उपयोग की स्थिति :- बिन्द नहीं मिले। 5. बालू/मोरम की उपलब्धता :- 80 प्रतिशत 6. क्षेत्र के बाहर खनन की गड्ढों की स्थिति :- शून्य 7. क्षेत्र के सुरक्षा जोन की स्थिति :- सुरक्षित 8. अस्थाई पुल अथवा जल प्रवाह में क्षेत्र के बाहर व अन्दर कोई छेड़छाड़ की गयी है अथवा नहीं :- कोई निर्माण नहीं देखा गया। 9. सन्दर्भित उद्योग को राज्य बोर्ड से जल/वायु सहमति दिनांक 31.12.2022 तक निर्गत है।









17.	श्री मंजीत चावला निवासी-सी0 201 प्रीत विहार, दिल्ली।	बाँदा	कनवारा	53 व 337 का भाग, खण्ड सी0 2	14.65	केन	2.93.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. जांच का दिनांक :- 23.03.2022 2. क्षेत्र में जल की स्थिति :- सम्पूर्ण भाग का 00 प्रतिशत भाग सूखा है। 3. क्षेत्र में उपलब्ध गड्ढों की गहराई :- अधिकतम 03 मी0 4. भारी मशीनों के उपयोग की स्थिति :- चिन्ह नहीं मिले। 5. बाढ़/मोरम की उपलब्धता :- 80 प्रतिशत 6. क्षेत्र के बाहर खनन की गड्ढों की स्थिति :- शून्य 7. क्षेत्र के सुरक्षा जोन की स्थिति :- सुरक्षित 8. अस्थायी पुल अथवा जल प्रवाह में क्षेत्र के बाहर व अन्दर कोई छेड़छाड़ की गयी है अथवा नहीं :- कोई निर्माण नहीं देखा गया। 9. सन्दर्भित उद्योग को राज्य बोर्ड से जल/वायु सहमति दिनांक 31.12.2022 तक निर्गत है।
-----	---	-------	--------	-----------------------------------	-------	-----	----------	---

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में सादर प्रेषित है।


मानचित्रकार/सर्वेक्षक
बाँदा।


खान निरीक्षक
बाँदा।


खान अधिकारी
बाँदा।


तहसीलदार
बाँदा।


तहसीलदार
अतर्रा।


तहसीलदार
नरैनी।


तहसीलदार
मैलानी।


अधिशासी अभियन्ता
सिन्धु एवं जल संसाधन विभाग
बाँदा।


वैज्ञानिक सहायक
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
बाँदा


क्षेत्रीय अधिकारी
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
बाँदा।


प्रभागीय वनाधिकारी
बाँदा।